दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालयः— श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर

1. शेरसिंह पिता थोवनसिंह दांगी
2. राजेन्द्रसिंह पिता नंदू
3. विहारी पिता नंदू
4. गोविन्द पिता नंदू सिंह
5. भूपेन्द्र पिता रघुवीरसिंह
6. नंदू सिंह पिता थोवन सिंह

सभी निवासी ग्राम भोजपुर तहसील बीना जिला सागर म.प्र.

.....पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1. रेखा पिता शेरसींग दांगी पत्नि श्री रामजी ठाकुर निवासी ग्राम मेनवारा तह0 राहतगढ जिला सागर म.प्र.

.....उत्तरवादी

साम्पतिक प्रकरण कं. 45अ/27 वर्ष 2014—2015 प्रस्तुत दिनांक 26.5.16
न्यायालयः— अनुविभागीय अधिकारी महोदय बीना
आदेश दिनांक 03.5.16

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता ओर से पुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षणकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय बीना के आदेश दिनांक 03.5.16 से दुखित होकर निम्न आधारों पर पुनरीक्षण पेश करते है—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, उत्तरवादी ने माननीय तहसीलदार महोदय बीना के रा.प्र.कं. 89अ/27 वर्ष 2005—2006 में पारित आदेश दिनांक 21.7.2006 के विरूद्ध अपील दिनांक 15.1.15 को अनुविभागीय अधिकारी बीना की न्यायालय में पेश की।
2. यह कि, उत्तरवादी ने लगभग 09 वर्ष विलंब से अपील प्रस्तुत की है तथा धारा 5 परिसीमा अधिनिमय का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विलंब का कारण जानकारी का अभाव बताया है।
3. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत कर माननीय तहसीलदार महोदय बीना की न्यायालय से बटबारा कराया था। तहसीलदार महोदय के यहां चले इस प्रकरण का कं. 89अ/27 वर्ष 2005—2006 पारित आदेश दिनांक 21.7.2006 था। इस प्रकरण में पारित आदेश से ही पुनरीक्षणकर्तागण के मध्य बटबारा हुआ एवं पुनरीक्षणकर्ता शेरसींग को ख.नं.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

जिला-सागर

प्रकरण क्रमांक निग.- 1866-एक/2016

शेरसिंह आदि विरूद्ध रेखा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रशेचार पाठक एवं अनावेदक की ओर से धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बीना, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक- 45/अ-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 03-05-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-06-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-सागर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर	

सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.19
सदस्य